

भारत: ILO के शाषी निकाय का अध्यक्ष

प्रलिमिन्स के लिये

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO शाषी निकाय, ILO के प्रमुख अभिसमय

मेन्स के लिये

भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

चर्चा में क्यों?

भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) के बीच 100 वर्षों के उपयोगी संबंधों के एक नए अध्याय को चहिनति करते हुए भारत ने 35 वर्षों बाद [अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन](#) के शाषी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है।

प्रमुख बदि

- श्रम और रोजगार सचवि **अपूर्वा चंद्रा** को **अक्टूबर 2020 से जून 2021** तक की अवधि के लिये ILO के शाषी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है।
- ILO के शाषी निकाय के अध्यक्ष का पद **अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्त्व का पद** है। शाषी निकाय (Governing Body- GB) **ILO का शीर्ष कार्यकारी निकाय** है।
 - शाषी निकाय की बैठकें वर्ष में तीन बार मार्च, जून और नवंबर में आयोजित की जाती हैं। यह ILO नीतिपर नरिणय लेता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के लिये एजेंडा नरिधारति करता है, सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत करने के लिये कार्यक्रम प्रारूप तथा बजट को स्वीकार करता है तथा महानदिशक (Director-General) का चुनाव करता है।
 - ILO की व्यापक नीतियाँ **अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन** के माध्यम से नरिधारति की जाती हैं जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष एक बार जून में स्विट्ज़रलैंड के जनिवा में किये जाता है। इसे प्रायः **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद** के रूप में संदर्भित किये जाता है।
- अपूर्वा चन्द्रा शाषी निकाय की आगामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसका आयोजन नवंबर 2020 में किये जाएगा।
 - यह संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमकों को सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में धारणा स्पष्ट करने के अलावा श्रम बाजार की कठोरता को दूर करने के लिये सरकार द्वारा की गई परिवर्तनकारी पहलों से प्रतभिगयियों को अवगत कराने हेतु एक मंच प्रदान करेगा।
 - मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक एवं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति से संबंधित चार संहिताओं से यह अपेक्षा की जा सकती है कवि श्रमकों के हतियों की रक्षा कर सकती है तथा व्यवसाय संचालन को सरल बनाकर उसमें सुधार कर सकती है।
 - हाल ही में भारतीय संसद ने औद्योगिक संबंधों, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति और सामाजिक सुरक्षा पर **तीन श्रम संहिताएँ** पारति की हैं जो देश के पुरातन श्रम कानूनों को सरल बनाने और श्रमकों के लाभों से समझौता किये बिना आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिये प्रस्तावति हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय की संधिद्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी।
- यह श्रम मानक नरिधारति करने, नीतियाँ वकिसति करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिये सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नयिकताओं और श्रमकों को एक साथ लाता है।
- वर्ष 1946 में ILO, संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली वशिषिट एजेंसी बना।
- ILO में कार्रवाई का मुख्य साधन अभिसमयों एवं समझौतों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना करना है।
 - अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और ऐसे उपकरण हैं, जो उन देशों के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का नरिमाण करते हैं जिनके द्वारा इनकी पुष्टि की जाती है।

- इसकी अनुशंसाएँ गैर-बाध्यकारी हैं और राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यों को उन्मुख करने वाले दशा-नरिदेशों का नरिधारण करती हैं ।
- वर्ष 1969 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांतिपुरस्कार प्रदान किया गया ।
- यह वार्षिक [वशिव रोजगार और सामाजिक दृषटकिण](#) (World Employment and Social Outlook- WESO) रुझान रपौरट जारी करता है ।

भारत और ILO:

- भारत, ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से ILO के शाषी नकिया का स्थायी सदस्य रहा है । भारत में ILO का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में शुरु हुआ था ।
- भारत ने ILO के 41 अभसिमयों की पुषटकी है, जो कई अन्य देशों में मौजूद स्थतिकी तुलना में कहीं अधिक बेहतर है ।
- भारत ने आठ प्रमुख/मौलिक ILO अभसिमयों में से 6 की पुषटकी है । ये अभसिमय नमिनलखिति हैं:
 - बलात् श्रम पर अभसिमय (संख्या 29)
 - बलात् श्रम के उनमूलन पर अभसिमय (संख्या 105)
 - समान पारश्रमकि पर अभसिमय (संख्या 100)
 - भेदभाव (रोज़गार और व्यवसाय) पर अभसिमय (संख्या 111)
 - न्यूनतम आयु पर अभसिमय (संख्या 138)
 - बाल श्रम के सबसे वकित स्वरूप पर अभसिमय (संख्या 182)
- भारत ने दो प्रमुख/मौलिक अभसिमयों, अर्थात् संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठति होने के अधिकार की सुरक्षा पर अभसिमय, 1948 (संख्या 87) और संगठति एवं सामूहिक सौदेबाज़ी के अधिकार पर अभसिमय, 1949 (संख्या 98) की पुषटकि नहीं की है ।
 - ILO की कन्वेंशन संख्या 87 एवं 98 की पुषटकि नहीं करने का मुख्य कारण सरकारी करमचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतबिंध हैं ।
- ILO ने कोवडि-19 के प्रकोप के कारण धीमी पड़ चुकी आर्थिक गतविधियों को बढावा देने के लयि कई भारतीय राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में कयि गए परविरतनों पर गहरी चति व्यक्त की है ।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-assumes-the-chairmanship-of-the-governing-body-of-ilo>

